

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
कपूर पुत्र खेताजी जाति राईका
निवासी सादडा तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/630
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इरा हुकम की तामिल में जारी हुये
15/10 25	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सादडा स्थित भूमि खसरा 688, 689 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.680 हैक्टर किस्म बाराणी दोयम कुल लगान 3.4000 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, सेवाडी एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



सहायक कलक्टर एवं पदेन्
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बगुकदमें इब्दादाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

वादीगण
कपूर पुत्र खेताजी जाति राईका
निवासी सादडा तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/630
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिव मुदई व मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम सादडा स्थित भूमि खसरा 688, 689 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.680 हैक्टर किस्म बारानी दोयम कुल लगान 3.4000 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान कारतकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, लाटाडा एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/10/25 को जारी की गई।



(दिनेश विश्‍नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी, बाली



मजरी
नमंदा
ग्राम - सारदा
क.मं. - सारदा


687

658

Handwritten signature
IR center

744


703
Handwritten signature



688

689

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature



690

कपूर ५% खेराजी

खेरासिंह ५% बिडरसिंह

692

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

693